परिसीमन / अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या– प०नि० 30–67 / 2026.........3806

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला दंडाधिकारी, रोहतास।

पटना, दिनांक– 17.9.26

विषय :– राजस्व ग्राम जगदवनडीह (थाना संख्या–222) के निमित मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–3079, दिनांक–12.09.2026 एवं आयोग का पत्रांक–3709, दिनांक–11.09.2026

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा राजस्व ग्राम जगदवनडीह (थाना संख्या–222) के ग्रामीण / नगरीय क्षेत्र में अवस्थिति के संदर्भ में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंतव्य के साथ उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था तदालोक में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा तत्संबंधी प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया है जो पूर्णतः प्रखंड विकास पदाधिकारी, सासाराम के प्रतिवेदन पर आधारित है। प्रतिवेदन में अंकित है कि पूर्व में उक्त राजस्व ग्राम करवंदिया पंचायत में अवस्थित था एवं वर्तमान में उक्त राजस्व ग्राम रामपुर पंचायत के वार्ड संख्या–02 में अवस्थित है।

ज्ञातव्य हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संख्या 1000, दिनांक–03.03.2021 द्वारा ग्राम पंचायत करवंदिया के पूर्ण भाग को नगर निगम, सासाराम में सम्मिलित किया गया है एवं उक्त पंचायत में ही राजस्व ग्राम जगदवनडीह भी शामिल था (नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संलग्न)।

उल्लेखनीय है कि जून 2026 में प्रकाशित प्रपत्र–1 के जिला गजट में ग्राम पंचायत रामपुर अन्तर्गत राजस्व ग्राम जगदवनडीह (थाना संख्या–222) को शामिल नहीं किया गया है परन्तु आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के संलग्न पत्र में अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम जगदवनडीह ग्राम पंचायत रामपुर के वार्ड संख्या–02 में अवस्थित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भ्रामक प्रतिवेदन आपके समक्ष उपलब्ध कराया गया है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि राजस्व ग्राम जगदवनडीह (थाना संख्या–222) के जांच / सत्यापन के संदर्भ में अपर समाहर्त्ता के स्तर पर टीम गठित करते हुए जांच कराई जाए एवं जांच प्रतिवेदन पर गहन समीक्षोपरांत सुस्पष्ट मंतव्य अंकित करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

17/9/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।